न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 80/2018 **दायरा दिनांक : 11.06.2018**

उनवान

गंगाबाई पत्नी खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– खुमान सिंह आत्मज रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान –

1/1– नग्गू बाई बेवा खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/2– नारायण सिंह पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/3– गोविन्द सिंह पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/4– शिवसिंह पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/5– कुशान सिंह पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/6– हरकुंवर पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री तंवर सिंह एवं श्री अशोक कुमार गूर्जर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

निर्णय **दिनांक : 29.12.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 205/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम लसूडिया की आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 412 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 413 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 414 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा कुल 5 किता रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा का खातेदार कृषक घोषित कराने बाबत दावा पेश किया । जिसमें प्रतिवादिया अपीलांटा की ओर से दिनांक 10.03.2010 को वकालतनामा पेश किया एवं आगामी तारीख पेशियों में जवाब पेश किया । दिनांक 11.10.2017 को प्रतिवादिया अपीलांटा की ओर से हरीश भण्डारी ने अण्डरटेकिंग दी दिनांक 20.11.2017 को तनकीयात बनी दिनांक 06.12.2017 को बार द्वारा कार्य स्थगित रखा गया, जिनांक 17.01.2018 को प्रतिवादिया अपीलांटा के अभिभाषक हिदायत पैरवी नहीं करने के हस्ताक्षर करवाये, बिना प्रतिवादिया अपीलांटा को सूचना दिये ही प्रतिवादिया अपीलांटा के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा दिनांक 24.01.2018 को एक तरफा बहस सुनी तथा दिनांक 06.02.2018 को बिना अपीलांटा को सुने कानून के खिलाफ एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है । अपीलांटा रेस्पोडेंट नम्बर 1 खुमान सिंह की विवाहिता पत्नी है तथा अपीलांटा के एक पुत्री मानकुंवर बाई एवं एक पुत्र गोपाल है किन्तु रेस्पोडेंट नम्बर 1 खुमान सिंह ने नग्गूबाई से नाता कर लिया, जिसका प्रतिवादिया अपीलांटा ने विरोध किया एवं काफी विवाद हुआ । विवाद को समाप्त करने के लिए रेस्पोडेंट नम्बर 1 खुमान सिंह ने अपनी स्वेच्छा से विवादित आराजियात का 40 वर्ष पूर्व कब्जा अपीलांटा को संभलाया एवं अपीलांटा के खाते विवादित आराजियात दर्ज करवायी तथी से विवादित आराजियात पर अपीलांटा काश्त करती चली आ रही

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
(राज.)

है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 खुमान सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद खुमान सिंह के कायम मुकाम में मानकुंवराई एवं गोपाल को कायम मुकाम नहीं बनाया गया, जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 06.02.2018 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.05.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमने जवाबदावा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें बिना सुने दावे का निर्णय कर दिया । घोषणा का वाद है जिस पर साक्ष्य, सबूत लेकर निर्णय किया जाना आवश्यक है । गंगाबाई खुमान सिंह की लीगल पत्नी है । खुमान सिंह ने वादग्रस्त आराजी गंगाबाई को ट्रांसफर कर दी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इन्हें मौका दिया है । इन्होंने काउंटर क्लेम भी पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड के आधार पर निर्णय दिया है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी थी । रामसिंह के खाते की थी, रामसिंह की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 21.09.68 से वादी खुमानसिंह के खाते दर्ज करने के आदेश हुए । सैटलमेंट के बाद सैटलमेंट ने गंगाबाई प्रतिवादी संख्या 1 के खाते कर दी । सैटलमेंट को कोई अधिकार नहीं था , जिसे सही कराने के लिए हम दावा लाये हैं । दावे के दौरान खुमानसिंह फौत हो गया तो वादग्रस्त आराजी खुमान सिंह के वारिसों के नाम कर दी गई जो सही है । ये रेकार्ड में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी

ही स्टैण्ड नहीं कर रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने सही फैसला दिया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर एवं रिकार्ड के अनुसार निर्णय किया है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि गंगाबाई खुमान सिंह की लीगल पत्नी है । यह तय करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि खुमान सिंह ने गंगाबाई को वादग्रस्त आराजी ट्रांसफर कर दी, लेकिन पत्रावली में इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि खुमान सिंह ने गंगा बाई को वादग्रस्त आराजी ट्रांसफर कर दी । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी थी जो रामसिंह के खाते की थी । रामसिंह की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट खुमान सिंह के खाते में दर्ज करने के आदेश सैटलमेंट से पूर्व के हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिवत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

गंगाबाई पत्नी खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ **बनाम** .....**अपीलान्ट**

1– खुमान सिंह आत्मज रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान –

1/1– नग्गू बाई बेवा खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/2– नारायण सिंह पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/3– गोविन्द सिंह पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/4– शिवसिंह पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/5– कुशान सिंह पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/6– हरकुंवर पिसरान खुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **80/2018** एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, गंगधार**

मु.द.नं **205/दावा/2016** निर्णय डिकी दिनांक – **06.02.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 18 माह 12 सन् 2020

हाजरी **श्री तंवर सिंह** एवं **श्री अशोक कुमार गुर्जर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट **श्री औकारेश्वर शर्मा** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 06.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **29** माह **12** सन् **2020** को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.